4. कार्यपालिका

☆ कार्यपालिका क्या है?

⇒ 1.) कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से है जो नीतियों, नियमों और कायदे-कानूनों को लागू करते हैं।

2.) सरकार का वह अंग जो नियमों को लागू करता है विधाइका द्वारा स्वीकृत नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदाई होता है।

☆ कार्यपालिका के प्रकार

सामुहिक → संसदीय, अर्ध-अध्यक्षात्मक

एक व्यक्ति → अध्यक्षात्मक

① संसदीय	अर्ध-अध्यक्षात्मक	अध्यक्षात्मक
① प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख	① राष्ट्रपति प्रमुख	① राष्ट्रपति देश का प्रमुख
② विधाइका से बहुमत वाले दल का नेता	② प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख	② राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख
③ विधाइका के प्रति उत्तरदाई	③ प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधाइकों के प्रति उत्तरदाई होता है।	③ चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है विधाइका के प्रति उत्तरदाई नहीं होता।
(4) देश का प्रमुख भी		

लोकतंत्र तीन भागो में बाँटा हुआ है :-

1) कार्यपालिका
2) न्यायपालिका
3) विधाइका

1) कार्यपालिका ⇒ सरकार के उस अंग से है जो कायदे, कानूनो को संगठन में रोजाना लागू करते है।

⇒ सरकार का वह अंग भी है जो सभी प्रकार के नियमों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है 'कार्यपालिका' कहलाता है।

⇒ नीतियों और कानूनो को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।

राजनैतिक कार्यपालिका

सरकार के प्रधान और उसके मंत्रीयों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते है और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदाई होते हैं। वे निर्वाचित होते हैं स्थाई नहीं।

स्थाई कार्यपालिका

जो लोग रोज-2 के प्रशा... के लिए उत्तरदाई होते है उन्हें स्थाई कार्यपालिका कहते है। जैसे → IAS, IPS, RAS.

कार्यपालिका के कार्य

सरकार की नीतियों को लागू करना एवं विधाई निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाना।
कार्यपालिका कानून निर्माण प्रक्रिया मे सरकार की सहायता करता है।
कार्यपालिका राज्यों के साथ सम्बंधो का संचालन करता है।
विभिन्न प्रकार के संधियों एवं समझोतों का निशपादन करता है।
सभी देशों में राज्य का अध्यक्ष देश की के सशस्त्र सैना का सर्वोच्च कमांडर होता है परन्तु वह किसी युद्ध मे भाग नहीं लेते।

कार्यपालिका के अन्य प्रकार ⇒

वास्तविक कार्यपालिका (ब्रिटेन और भारत)

नाममात्र की कार्यपालिका (भारत का P.S व ब्रिटेन का सम्राट)
एकल कार्यपालिका (U.S का P.S)
बहुल कार्यपालिका (स्विटरलैंड)
निर्वाचित कार्यपालिका (भारत व U.S)
संसदात्मक कार्यपालिका (ब्रिटेन व जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा)
अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (U.S, ब्राजील, अमेरिका)
अर्ध - अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (भारत, फ्रांस, रूस, श्रीलंका)

सरकार के अंगो को समझाईए।

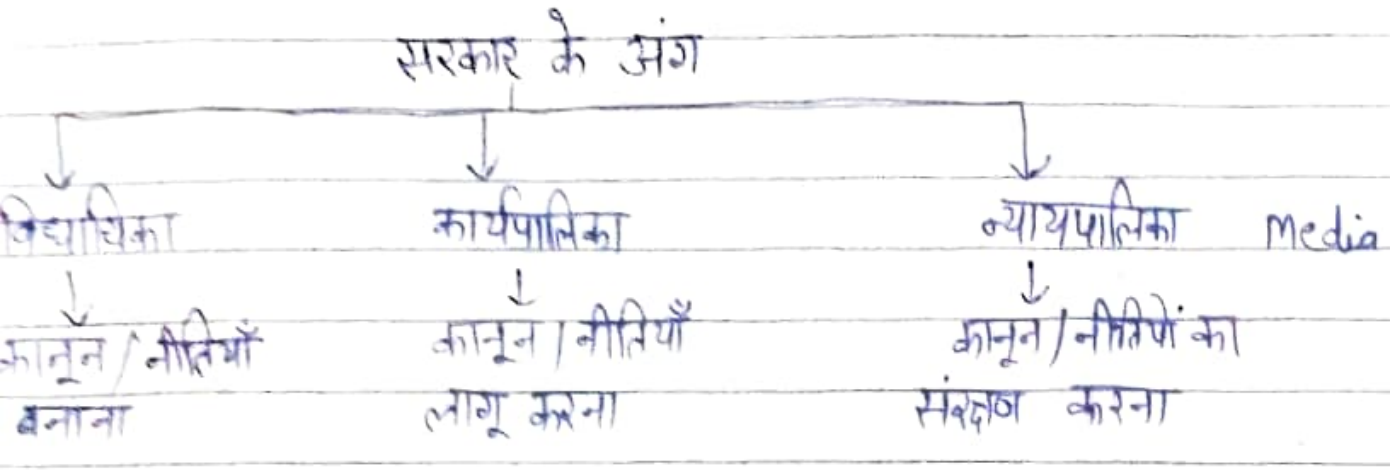

कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा विकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

कार्यपालिका प्राय: निती निर्माण में आग लेती है।

कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढाँचे के सदस्य भी आते हैं।

अध्यक्षात्मक एवं संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं।

अध्यक्षात्मक	संसदीय
राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है।	→ प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।
राष्ट्रपति का पद शक्ति-शाली होता है।	→ राजा/राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान
जैसे → अमेरिका, ब्राजिल	→ वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री एवं मात्र मंत्रीमण्डल के पास जैसे → जर्मनी, इटली, जापान

भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया कारण बताइ

भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों से संसदीय संचालन
अनुभव हुआ।

अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद सभी शक्तियों का स्त्रोत ऐसे में व्यक्ति पूजा का खतरा। संसदीय व्यवस्था में
प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका, विधायिका
जनता के प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायि होगी।

संविधान के अनुसार हमारी कार्यपालिका के दो भाग होते हैं।

स्थाई कार्यपालिका →

① इसके अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाता है। जैसे → I.A.S, R.A.S आदि।

② इसका कार्यकाल स्थाई होने के नाते इन्हें स्थाई कार्यपालिका कहा जाता है।

अस्थाई कार्यपालिका →

① इसके अन्तर्गत समस्त प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं।

अस्थाई कार्यपालिका के निम्नांकित भाग हैं →

PM/CM →

① इनको अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाता है और छः माह के भीतर निर्वाचन जरूरी है।

② अन्यमंत्रियों कि नियुक्ति PM./C.M की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल करेंगे।

③ सभी मंत्रियों कि शपथ दिलाने का काम केन्द्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल का होता है। (संसदीय सचीव) को छोड़कर

कैबिनेट मंत्री → केन्द्र और राज्य में P.m./C.m की सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल कैबिनेट मंत्री को चुनते हैं और उनको शपथ दिलवाते हैं।

3+5 ठीक इसी प्रकार उपमंत्री तक के मंत्री चुने जाते हैं।

संसदीय सचीव → इनका

इनके पास अलग से अपना कोई विभाग नहीं होता।

इनकी नियुक्ति केन्द्र में स्वयं प्रधानमंत्री करता है और राज्य में राज्यमंत्री करता है। श

शपथ P.m/C.m दिलवाते हैं और हराते भी वो ही हैं।

लोकसभा किसे कहते हैं?

संविधान में व्यवस्था है की सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधि करेंगे। 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों प्रतिनिधि करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लोइंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है।

राज्यसभा किसे कहते हैं?

राज्यसभा भारत की संसद का उपरी सदन है। सदस्यता 250 तक सीमित है। और वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य है। 233 सदस्य को विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान

विधानसभा किसे कहते हैं?

विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है इसके आकार का निर्धारण भारत के संविधान द्वारा निर्धारण किया गया है। जिसमें 500 से अधिक और 6 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए।

विधानपरिषद किसे कहते हैं?

राज्य की विधानपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 भाग से अधिक नहीं होगी चाहिए। साथ ही इसकी न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

इसके आकार का निर्धारण भारत के संविधान द्वारा निर्धारण किया गया है। जिसमें 500 से अधिक और 6 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए।

★ विधानपरिषद किसे कहते हैं?

→ राज्य की विधानपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 भाग से अधिक नहीं होगी चाहिए। साथ ही इसकी न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

Note → विधानपरिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है जिसे सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। देश में सभी राज्यों में विधानपरिषद नहीं है। ऐसे केवल 28 में से 6 राज्य है जहाँ विधानपरिषद है।

1. आन्ध्रप्रदेश
2. बिहार
3. कर्नाटक
4. महाराष्ट्र
5. तेलंगाना
6. उत्तर प्रदेश

Note → इसके अलावा असम और उड़िसा में भी विधानपरिषद बनाने की

संसद ने मंजुरी दे दी है।

Chapter notes

राष्ट्रपति, देश का औपचारिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद सरकार के प्रधान होत हैं।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। सभी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रीपरिषद की सल ही होता है।

अधिकतर मामलों में मंत्रीपरिषद

राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है।
सभी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रीपरिषद की सलाह
ही होता है।
अधिकतर मामलों में मंत्रीपरिषद की सलाह मानना
होता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी होते हैं।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार →

प्रथम	द्वितीय (वीटो की शक्ति)	तृतीय
मंत्रीपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। पुनर्विचार हेतु कह सकता है। यद्यपि मंत्रीपरिषद पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह वापस दे - 2 तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृत करना होगा	★ धन विधेयक को छोड़कर ★ स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। ★ संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके अन्दर ही उस विधेयक को पुनर्विचार करके लौटाना होता है।	★ गठबंधन की सरकार के समय। ★ राष्ट्रपति द्वारा निर्णय कि कौनसी दल बहुमत प्राप्त हैं। ★ राजनैतिक परिस्थितियों पर आधारित विशेषाधिकार।

[illegible]	[illegible]	
वापस दे २ तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृत करना होगा	विधेयक को पुनर्विचार करके लौटाना होता है।	

राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों ?

संसदीय व्यवस्था में मंत्रीपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर
अर्थात मंत्रीपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है।
ऐसे में नई मंत्रीपरिषद की नियुक्ति की आवश्यकता होती है।
ऐसी परिस्थिती में एक राष्ट्र प्रमुख की जरूरत होती है जिसका कार्यकाल स्थाई हो।